न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री जे.पी. बैरवा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 564/2016

वादीगण :–	बनाम	प्रतिवादी :–
1. भंवरलाल पुत्र चुन्नीलाल जाति –राजपुरोहित, उम्र 62 वर्ष निवासी–जैतारण, तहसील–जैतारण जिला–पाली		1. तहसीलदार जैतारण तहसील–जैतारण जिला–पाली 2. हल्का पटवारी सांगावास तहसील जैतारण जिला पाली (राज.)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं 136 LR Act. **तारीख रजू:.29/11/2016**

उपस्थित:– 1. श्री भगवती प्रसाद , अधिवक्ता, वादी।

–:: निर्णय ::– **दिनॉक:– 27/03/2018**

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, एवं 136 LR Act. के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा सांगावास तहसील जैतारण जिला पाली राज. में स्थित हैं जिसके खसरा नम्बर खाता संख्या 116 खसरा नम्बर 62 रकबा 43–13 बीघा किस्म बा.अ. , खसरा नम्बर 63 रकबा 0–07 बीघा किस्म गै.मु. बेरा, खसरा नम्बर 118 रकबा 30–16 बीघा किस्म बा. अ., खसरा नम्बर 119 रकबा 0–01 बीघा किस्म गै.मु.बेरा कुल खसरा 4 कुल रकबा 74.17 बीघा आई हुई हैं। उक्त आराजी की कृषि भूमि की जमाबंदी सम्वत् 2070 से 2073 तक की प्रमाणित प्रतिलिपी इस वादपत्र के साथ संलग्न है जो वादपत्र का एक भाग माना जावें। उक्त आराजी की कृषि भूमि पर हिस्से माफिक कब्जा काश्त है और शांतिपूर्वक इसका उपयोग एवं उपभोग करता आ रहा है। उक्त आराजी की कृषि भूमि की जमाबन्दी में वादी का नाम भंवरसिंह गौद पुत्र चुन्नीलाल दर्ज है जो हल्का पटवारी सांगावास की गलती से गलत नाम दर्ज किया गया है जब पूर्व में वादी का नाम जरिए म्यूटेशन संख्या 281 दिनांक 15.13.1982 को राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया तब भंवरलाल की जगह भंवरसिंह दर्ज कर दिया जो गलत दर्ज किया गया। जो राजस्व अधिकारी एवं हल्का पटवारी की गलती से भंवरलाल की जगह भंवरसिंह दर्ज कर दिया जो रोंग एन्ट्री है जो स्लीफ ऑफ पैन की तारीफ में आता है जिसे दुरूस्त किया जाना कानूनी रूप से आवश्यक है। जिसे दुरूस्त करने का आदेश फरमार्वे। वादी लम्बे समय बाहर सरकारी नौकरी शिक्षा विभाग में पदस्थापित था जो वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में वर्ष 1982 से लगातार भंवरलाल की जगह भंवरसिंह के नाम की रोंग एन्ट्री चली आ रही है वादी को उक्त एन्ट्री की जानकारी नही थी। वादी को अपनी खातेदारी जमीन पर के.सी.सी. कार्ड बनाने की आवश्यकता पडी तब बाहर से ग्राम सांगावास आया और हल्का पटवारी से सम्पर्क कर जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तब पता चला कि राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में भंवरलाल की जगह भंवरसिंह नाम दर्ज हे जो गलत है एवं रोंग एन्ट्री है जो हल्का पटवारी सांगावास की गलती से जरिये म्यूटेशन संख्या 281 दिनांक 15.3.1982 को वादी का नाम इन्द्राज किया गया जिसे जरिये घोषणा के म्यूटेशन संख्या 281 दिनांक 15.3.1982 को रद्द एवं निरस्त घोषित किया जाकर भंवरसिंह की जगह भंवरलाल का नाम राजस्व रेकर्ड में जरिये घोषणा के घोषित किया जाकर दुरूस्त किये जाने का आदेश फरमावे ऐसा अनुतोष वादी प्राप्त करने का अधिकारी है। यदि जरिये दुरूस्ती एवं घोषणा के भंवरसिंह की जगह भंवरलाल के नाम अमल दरामद नही किया गया तो वादी अपने हक हकूको एवं मालिकाना अधिकार से वंचित रह जायेगा एवं रोंग एन्ट्री के आधार पर वादी अपने नाम से के.सी.सी. कार्ड बनाने एवं अन्य सरकारी योजनाओं से लाभ प्राप्त करने से वंचित रह जायेगा और वादी को आर्थिक नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी सूरत में संभव नही होगी प्रथम

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

दृष्टिया मामला एवं सुविधा का संन्तुलन वादी के हक में बखूबी साबित है। इसलिये वादी की तरफ से अपना नाम जरिये घोषणा के दुरूस्त करवाने के लिये न्यायालय की शरण के अलावा अन्य कोई विकल्प नही है इसलिये वादी की तरफ से प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र भंवरसिंह की जगह भंवरलाल का नाम दुरूस्त करवाने हेतु वादपत्र श्रीमानजी की सेवा में पेश है। इसलिये आज ही नोटिस डिस्पेन्सविद किये जाने का आदेश फरमावे। वादी का वास्तविक नाम भंवरलाल ही है भंवरसिंह नही है वादी के नाम के राशन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, आधार कार्ड, चुनाव परिचय पत्र, सरकारी सेवा से सेवानिवृत होने का पी.पी.ओ. फार्म एवं सरकारी सर्विस से संबंधित दस्तावेजात से वादी का नाम भंवरलाल दर्ज है जो सही है नकल फोटो स्टेट प्रति राशन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, आधार कार्ड, चुनाव परिचय पत्र, व पी.पी.ओ. फार्म की फोटू स्टेट प्रति वादपत्र के साथ संलग्न है। प्रतिवादी संख्या एक तहसीलदार लैण्ड होल्डर है जो इसमें आवश्यक पक्षकार है इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 को पक्षकार बनाया गया है एवं प्रतिवादी संख्या 2 जो हल्का पटवारी सांगावास की गलती से म्यूटेशन संख्या 281 दिनांक 15.3.1982 के जरिये भंवरलाल की जगह भंवरसिंह नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दिया इसलिये इसको पक्षकार बनाया गया है। बिनाय दावा दिनांक 17.10.2016 को तहसील कार्यालय जैतारण गया एवं राजस्व रेकर्ड की जानकारी ली एवं इसी दिनांक को तहसील कार्यालय जैतारण से जमाबन्दी की प्रमाणित प्राति प्राप्त की और हल्का पटवारी सांगावास के पास जाकर सम्पर्क कर म्यूटेशन संख्या 281 की प्रमाणित प्राति प्राप्त करने एवं राजस्व कैम्प प्रशासन गांवों के संग में दिनांक 14.6.2016 को वादी अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु प्रार्थनापत्र पेश करने एवं राजस्व अधिकारी एवं हल्का पटवारी क्षरा मना करने पर बिनाय दावा उत्पन्न हुआ जो अन्दर म्याद श्रीमानजी के क्षैत्राधिकार में एवं श्रवणाधिकार में होने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र पेश है जो आज ही नोटिस डिस्पेन्सविद् किये जाने का आदेश फरमावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी जबाबदावा एवं मौका रिपोर्ट पेश की, जो सा0मि0 हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वाद–पत्र के साक्ष्य सबूत में राशन कार्ड संख्या 00058, पहचान पत्र संख्या JVL/1282540, की फोटो छाया प्रतियाँ पेश की, जिससे वादी का सही नाम भंवरलाल ही हैं। राजस्व अभिलेख में गलत रूप से भंवरसिंह दर्ज नाम के स्थान पर भंवरलाल दुरूस्त किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा सांगावास तहसील जैतारण जिला पाली राज. में स्थित खसरा नम्बर खाता संख्या 116 खसरा नम्बर 62 रकबा 43–13 बीघा किस्म बा.अ. , खसरा नम्बर 63 रकबा 0–07 बीघा किस्म गै.मु. बेरा, खसरा नम्बर 118 रकबा 30–16 बीघा किस्म बा.अ., खसरा नम्बर 119 रकबा 0–01 बीघा किस्म गै.मु.बेरा कुल खसरा 4 कुल रकबा 74.17 बीघा भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी के गलत दर्ज नाम भंवरसिंह के स्थान पर वास्तविक एवं सही नाम भंवरलाल दुरूस्त किये जाने की घोषणा की जाती हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 27/03/2018 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner